सं.टीएम/एस-11/20 23 अकतुबर 2020

परिपत्र

अध्यक्ष,
मेरीटाईम असोसिएशन ऑफ नेशनवाइड शिपिंग एजन्सीज - इंडिया (एमएएनएसए)
अध्यक्ष,
बृहमुंबई कस्टम ब्रोकर्स असोसिएशन (बीसीबीए)
अध्यक्ष,
ऑल इंडिया इम्पोर्टस अॅण्ड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन
अध्यक्ष,
इंडियन मर्चन्ट चेम्बर्स
अध्यक्ष,
असोशिएशन ऑफ मल्टीमॉडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, मुंबई
अध्यक्ष,
बॉम्बे चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इन्डस्ट्रिज
अध्यक्ष,
आयसीसी शिपिंग असोसिएशन, मुंबई.
अध्यक्ष,
वेस्टर्न इंडिया शिपर्स असोशिएशन मुंबई
अध्यक्ष,
कॉन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्रि (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई
अध्यक्ष,
ऑल इंडिया असोशिएशन ऑफ इन्डस्ट्रिज, मुंबई
अध्यक्ष,
कन्टेनर शिपिंग लाईन्स असोशिएशन (इंडिया), मुंबई

महोदय,

विषय : पोत संचालन के लिए किनारे श्रमिकों की कम आपूर्ति के मामले में मुआवजा.

पोत संचालन के लिए ओबीएल गँग उपलब्ध नहीं कराने पर 50% स्टिवीडोअरिंग प्रभार की छूट दी जाती है. हालांकि, जब ओबीएल गँग उपलब्ध करायी जाती है, लेकिन किनारा श्रमिकों के गँग उपलब्ध नहीं कि जाती है, पोत एजेंट को निजी श्रमिकों को तैनात करने के लिए कोई मुआवजा नहीं मिलता है.

2. व्यवसाय करने में आसानी के तहत कार्यान्वित लागत में कटौती के उपाय.

ए) पोत कार्य में जब ओबीएल गँग उपलब्ध करायी जाती है और किनारा कर्मचारियों की गँग उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो काम करने वाले पोत के लिए, जहां यह माना जाता है कि स्टिवीडोअरिंग प्रभार के 50% उच्चतम सीमा के मामले में 15% घाट शुल्क या 40/- रुपये प्रति टन, में से जो भी कम हो का मुआवजा पोत एजेंटों को प्रदान किया जाएगा।

बी) मुआवजा संभावित रूप से लागू होगा.

सी) यह योजना 6 महिने तक लागू है और उसके पश्चात पुर्नरिक्षण किया जायेगा.

3. यह योजना 24.10.2020 से लागू होगी.

4. आपसे अनुरोध है कि निपटान लागत में परिणामी कमी के लिए अपने सदस्यों के बीच व्यापक प्रचार करें और उन्हें मुंबई बंदरगाह के माध्यम से अधिक कार्गो को निपटान करने के लिए प्रोत्साहित करें,

भवदीय,

क्रा. उदयकुमार
4/11/20

(क्रा. उदयकुमार)

यातायात प्रबंधक (प्रभारी)